झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
अष्टम(बजट)-सत्र
वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,गुरूवार,दिनांक :-29 पौष,1938 (श0) -----को 19 जनवरी ,2017 (ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
07)-	अ0सू0-13	श्री प्रदीप यादव	एम0डी0 का चयन।	ऊर्जा	14.01.17
08)-	अ0सू0-10	श्रीमती गीता कोड़ा	दोषियों पर कार्रवाई।	खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले	14.01.17
09)-	अ0सू0-02	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	कल्याण	11.01.17
*10)-	अ0सू0-04	श्री बिरंची नारायण	डैम का गहरीकरण।	जल संसाधन	13.01.17
11)-	अ0सू0-08	डॉ0 जीतू चरण राम	योजना लागू करना।	कल्याण	14.01.17
12)-	अ0सू0-09	श्रीमती गीता कोड़ा	प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।	कल्याण	14.01.17
13)-	अ0सू0-01	श्री रबीन्द्रनाथ महतो	चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति।	कल्याण	11.01.17
14)-	अ0सू0-03	श्री बिरंची नारायण	कल्याणकारी व्यवस्था करना।	महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा।	11.01.17
15)-	अ0सू0-07	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	अनुज्ञप्ति का नवीकरण।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले।	14.01.17
16)-	अ0सू0-06	श्री राधाकृष्ण किशोर	धान कय करना।	खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले	13.01.17

रॉंची
दिनांकः-19.जनवरी,2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

*जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक 226 दिनांक 16.1.17 द्वारा प्रत्यक्ष ल0 सचिव विभाग में स्थानान्तरित।

कृ0पृ0उ0/-

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2016-.....625...../वि0स0,राँची,दिनांकः-.....16.....जनवरी,2017 ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.17

(गुरुचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2016-.....625...../वि0स0,राँची,दिनांकः-.....16.....जनवरी,2017 ई0।

प्रतिलिपि :-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान सभा,राँची को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

16.1.17

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2016-.....625...../वि0स0,राँची,दिनांकः-.....16.....जनवरी,2017 ई0।

प्रतिलिपि :-कार्यवाही शाखा,वेबसाईड शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

16.1.17

शंकर

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

(7)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.01.2017 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-13 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव,मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि तेनघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) के MD, (Managing Director) के पद पर माननीय राज्यपाल द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक है। प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, के पद पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) के आर्टिकल ऑफ एशोसिएशन की धारा 49 (1)(C)में निहित प्रावधानों के तहत् ही प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) की नियुक्ति की जाती है। प्रावधान निम्नलिखित है :– ***"The Managing Director and Directors shall be appointed by the Governor in consultation with the Chairman but no such consultation would be necessary in case of the appointment of Directors representing the Government."***
2. क्या यह बात सही है कि श्री रामावतार साहु को गैर वैधानिक तरीके से सरकार अबतक M.D. बनाये हुए है जो कई गलत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं ;	तत्कालीन अध्यक्ष, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) ने कार्यालय आदेश सं॰ 95/14–15, दि॰ 07.08.14 द्वारा श्री गिरधर लाल त्रिपाठी पर आरोप गठित कर उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) के पद से पदच्यूत करते हुए उनके पैतृक विभाग एन॰टी॰पी॰सी॰ को वापस करने का आदेश निर्गत किया गया। अध्यक्ष, टी॰भी॰एन॰एल॰ के कार्यालय आदेश सं॰ 95/14–15, दि॰ 07.08.14 को रद्द करने हेतु श्री गिरधर लाल त्रिपाठी द्वारा मा॰ उच्च न्यायालय झारखण्ड में एक याचिका दिनांक 08.08.2014 को [wp(s)4072/14] दायर की गयी थी। उक्त याचिका की सुनवाई के क्रम में एक अन्य याचिकाकर्त्ता श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा श्री गिरघर लाल त्रिपाठी की नियुक्ति को गलत ठहराते हुए मा॰ उच्च न्यायालय, झारखण्ड में एक याचिका [wp(s)5735/14] दायर की गयी थी। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोनों वादों को संलग्न करते हुए एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। सुनवाई के उपरांत दिनांक 13.02.2015 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। उक्त वादों में दिनांक 16.4.15 को मा॰ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में श्री गिरिधर लाल त्रिपाठी तत्कालीन प्रबंध निदेशक, TVNL की नियुक्ति संबंधित अधिसूचना दिनांक–09.05.2014 को रद्द किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री त्रिपाठी द्वारा LPA No. 244/2015 एवं LPA No. 253/2014 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के खण्डपीठ में मई 2015 में दायर किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–08.09.15 को पारित न्यायादेश निम्न Observation के साथ निष्पादित कर दिया गया :– "Since L.P.A. No. 253 of 2015 has rendered infructuous on account of the fact that the applellant has been repatriated to his parent department (NTPC) the instant appeal also renders infructuous. माननीय राज्यपाल के आदेश दिनांक–24.4.15 द्वारा प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लि0 की नियमित नियुक्ति हेतु

	विभागीय पत्रांक–1468, दिनांक–19.6.15 द्वारा Search-cum-selection Committee का गठन किया गया जिसकी दि॰ 27.8.2015 को आहुत प्रथम बैठक में प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लि॰ हेतु आवश्यक अहर्त्ता, आयु का निर्धारण करते हुए दि॰ 07.10.15 को उक्त पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। अगले प्रबंध निदेशक की नियमित नियुक्ति तक श्री रामवतार साहू को अंतरिम व्यवस्था के तहत प्रबंध निदेशक का कार्य करने हेतु आदेश दिया गया है। All India Power Engineers Federation द्वारा एक आवेदन देकर यह अनुरोध किया गया कि MD, TVNL के पद पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा 55 वर्ष से बढ़ाया जाय। उक्त पत्र में यह भी लिखा गया कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एन॰टी॰पी॰सी॰ के सी॰एम॰डी॰ के पद हेतु उम्र की अधिकतम सीमा 60 वर्ष निर्धारित थी। उक्त आवेदन एवं अन्य तथ्यों को विचारार्थ Search-cum-selection Committee के समक्ष रखा गया एवं आयु, अहर्त्ता आदि का पुननिर्धारण समिति द्वारा अपनी बैठक 04.12.15 में किया गया तथा संशोधित विज्ञापन पुनः निकाला गया जिसके आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक–20.02.2016 थी। चयन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3. क्या यह बात सही है कि विभाग ने नये MD के चयन हेतु 10 माह पूर्व ही आवेदन स्वीकार किया है, लेकिन रामवतार साहू के प्रभाव एवं पैरवी के कारण अबतक नये MD का चयन नहीं हो पाया है?	आंशिक स्वीकारात्मक। विभाग को आवेदन प्राप्त है, जिसके आलोक में चयन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। Search-cum-selection Committee की अनुशंसा के बाद सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात् उक्त रिक्त पद को शीघ्र भरे जाने का लक्ष्य है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नये M.D. के चयन का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 179 / दिनांक 18-01-17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/17

सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\2016\25-02-16

(8)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 19.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्रीमती गीता कोड़ा,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक (वर्ष 2014–15 को छोड़कर) कुल चावल 5.75 लाख टन के बदले सिर्फ 3.90 लाख टन चावल ही भारतीय खाद्य निगम को दिया गया;	खरीफ विपणन मौसम 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि में भारतीय खाद्य निगम में कुल CMR (चावल) 5.75 लाख मे० टन सुपूर्द किया जाना था, परन्तु उसके विरूद्ध 4.15 लाख मे० टन CMR (चावल) सुपूर्द किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है, कि 1.84 लाख टन जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक, लैम्पस–पैक्स के प्रबंधकों, संबंधित जिलों के उपायुक्तों एवं मिल मालिकों की मिलीभगत से गायब कर दिया गया जिससे 412.41 करोड़ रूपये की चपत राज्य को लगी है;	भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में भारतीय खाद्य निगम को CMR (चावल) सुपूर्द नहीं किये जाने के कारण खरीफ विपणन मौसम 2011–12 से 2015–16 तक की अविध में कुल 1.60 लाख मे० टन CMR (चावल) सुपूर्द नहीं किया जा सका है, जिसका कुल मूल्य रूपये 246.15 करोड़ होता है, परन्तु उक्त राशि की वसूली CMR (चावल) के समतुल्य धान की मात्रा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 1250/– प्रति क्विंटल की दर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लैम्पस/पैक्स एवं राईस मिलों से की जा रही है। अब तक वसूली के उपरान्त राईस मिल एवं लैम्पस/पैक्स से कुल राशि रूपये 106 करोड़ की वसूली किया जाना है।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित 412.41 करोड़ की नुकसान की पुष्टि महालेखाकार की जाँच रिपोर्ट में की गई है;	महालेखाकार के अंकेक्षक दल द्वारा खण्ड–2 में वर्णित रूपये 412.41 करोड़ के नुकसान की पुष्टि नहीं की गयी है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 2 एवं 3 वर्णित विषय के आलोक में जाँचोपरान्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने पर विचार रखती है हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	राईस मिलों से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू होने के उपरान्त उनके द्वारा सरकार के आदेश को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सेवानिवृत माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय आयोग द्वारा इस मामले की सुनवाई भी हो रही है। फलाफल के उपरान्त दोषी व्यक्ति/संस्था के विरूद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
(आलोक त्रिवेदी),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 12/2017– 246 /राँची, दिनांक 18.01.17

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 438, वि0स0, दिनांक 14.01.2017 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

(9)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स० वि० स० द्वारा दिनांक –19.01.2017 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं० –अ०सू०–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अथवा राज्य के बाहर विभिन्न संस्थानों में वर्षों से अध्ययनरत अनुसूचित जाति व जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2014–15 से अब तक विभागीय लापरवाही के कारण प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 01 में वर्णित छात्रवृत्ति हेतु उपायुक्त, गिरिडीह ने अपने पत्रांक –233, दिनांक –17.10.2016 एवं पत्रांक –1261, दिनांक– 25.10.2016 के माध्यम से उक्त वित्तीय वर्ष की बकाया राशि के साथ–साथ विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित सूची की माँग किये जाने के बावजूद गिरिडीह जिला के अलावे एक–दो जिलों को छोड़ शेष सभी जिलों में उक्त राशि व सूची अप्राप्त है;	गिरिडीह जिला से प्रतिवेदित है कि अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के बकाया राशि हेतु तृतीय अनुपूरक से राशि की माँग की गयी है। राशि प्राप्त होने पर उपायुक्त गिरिडीह को राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में अब तक लंबित खण्ड–01 में वर्णित योजना का लाभ चालू वित्तीय वर्ष में ही देने के साथ–साथ सम्बन्धित दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–04/वि०स०(अ०सू०) –01/2017 - 206 राँची, दिनांकः– 17.01.17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –214, दिनांकः–11.01.2017 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी० के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(8) (11)

डॉ० जीतू चरण राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 19.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0 सू0–08 का उत्तर।

क्र०सं०	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम 1866 है।"अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना" के तहत् 6 वर्षों में मात्र 22 ग्रामों का ही विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन करा कर आगे का कार्य लम्बित है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य में 2001 के जनगणना के अनुसार 50% से अधिक अनुसूचित जाति के आबादी के कुल 1159 गाँव है। कल्याण विभाग द्वारा 2007 में निर्णय लिया कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक–एक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को मॉडल ग्राम के रूप में तैयार किया जाय ताकि SCA to SCSP योजना के अन्तर्गत ऐसे गाँवों को विकसित किया जा सके। विभाग द्वारा मॉडल ग्राम योजना का नाम बदलकर अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना रखा गया है तथा इस योजना का कार्यान्वयन अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम 1866 में से अबतक 27 ग्रामों में अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना लागू है। साथ ही अबतक 27 ग्रामों में विस्तृत सर्वेक्षण तैयार करा लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 20 अन्य अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना लागू करने की कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि 22 ग्रामों का विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन कराने के पश्चात् डी0 पी0 आर0 तैयार करने हेतु सचिव, कल्याण विभाग के स्तर से दिशा–निर्देश जारी की गई थी;	विभागीय पत्रांक 782 दिनांक 30.04.2014 द्वारा कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन जे०टी०डी०एस०, झारखण्ड, राँची द्वारा अपनाई गई दिशा–निर्देश के तर्ज पर अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों के उन्नत ग्राम/मॉडल ग्राम विकसित करने का निर्देश दिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के विकास हेतु "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति ग्राम विकास योजना" लागू की गई है जिसमें 5755 ग्रामों का चयन किया गया है जबकि अनुसूचित जाति के 1866 बाहुल्य ग्रामों के विकास हेतु उक्त योजना लागू नहीं की गई ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के विकास हेतु एक नई योजना है जिसके तहत कुल 5755 गाँवों का चयन किया गया है। अनुसूचित जाति ग्राम योजना के अन्तर्गत उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड –3 में वर्णित ग्रामों में योजना लागू करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, हो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक सं०–06/वि०स०–03/17 229 राँची, दिनांक: 18.01.17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–441/वि०स० दिनांक–14.01.17 के प्रसंग में दो सौ अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/1/17

(राज किशोर खाखा)
सरकार के अवर सचिव।

(12)

श्रीमती गीता कोड़ा, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 19.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सु०–9 का उत्तर सामग्री।

क्र० सं०	प्रश्न	विभागीय मंत्री का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के प्रशिक्षण हेतु आवंटित राशि 1.62 करोड़ रू० राँची जिला में अबतक इस्तेमाल नहीं की गई है ?	अस्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि राँची जिला को मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के प्रशिक्षण हेतु कुल राशि 17.82 लाख रू० आवंटित है, जिसमें रू० 4.13 लाख राशि व्यय कर लिया गया है। शेष राशि का व्यय विपत्र प्राप्त होने के उपरान्त कर दिया जाएगा।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विषय के आलोक में राशि की इस्तेमाल नहीं होने से जनजातीय महिला एवं युवाओं के स्वरोजगार हेतु बनाये गए योजना अवरूद्ध है ?	अस्वीकारात्मक। प्रशिक्षण का कार्य जारी है। लाभार्थियों द्वारा व्यवसाय प्रारंभ हेतु राशि भी प्राप्त की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विषय के आलोक में जाँचोपरान्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा खण्ड–2 में वर्णित विषय के आलोक में जनजातीय महिलाओं एवं युवाओं को प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों से उनकी इच्छा/रूचि/ पसंद के अनुसार प्राप्त रोजगार व्यवसाय पर विभाग द्वारा चयनित गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लाभुकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक सं०–4/वि०स०(अ०सू०)–06/2017 - 236 राँची, दिनांक: 18.01.17

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को ज्ञाप संख्या– 442, दिनांक–14.01.2017 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18-1-17

(शैलेन्द्र कुमार लाल)
सरकार के उप सचिव।

E:\Tanveer Alam\Question\Sanga sir.doc

13

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.01.17 को पुछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–1 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या–2147, दिनांक–23.10.2008 तथा 2162, दिनांक–03.09.2009 के आलोक में झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में आदिम जनजातियों को विशेष परिस्थिति में चतुर्थ वर्ग के पदों पर सीधी नियुक्ति करने का सरकार निर्णय लिया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला से एक भी आदिम जनजातियों के अभ्यार्थियों की नियुक्ति नहीं किया गया है;	जामताड़ा जिला में सीधी नियुक्ति के तहत आदिम जनजातियों के कुल 6 अभ्यार्थियों को सामरणहालय अन्तर्गत तृतीय वर्गीय पदों पर नियुक्त किया गया है। कतिपय बिन्दुओं पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रांची से मांग की गई है ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जामताड़ा जिला के आदिम जनजाति को सीधी नियुक्ति चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्त कर मुख्य धारा में लाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित।

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग।

ज्ञपांक–3/वि0स0प्र0–C1/17–246 राँची, दिनांकः– 18/01/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–213 दिनांक–11.01.2017 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/1/17

(सी0 के0 सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

14

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.01.2017 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–3 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में इस वर्ष 1085 से अधिक दुष्कर्म की घटना घटी है, जसमें सबसे अधिक घटनाएँ राजधानी राँची में घटी है ;	विभाग में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए विभागीय पत्र सं0–105 दिनांक– 16.01.2017 के द्वारा गृह विभाग से उत्तर की मांग की गई है।
2.	क्या यह बात सही है केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को निर्भया फंड की राशि भेजी गई है;	स्वीकारात्मक। केन्द्र सरकार द्वारा निर्भया फंड के अन्तर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सहायता हेतु राज्य के तीन जिलों यथा– राँची, पूर्वी सिंहभूम एवं धनबाद जिला में वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना हेतु राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराई गई है।
3.	क्या यह बात सही है राज्य में दुष्कर्म की घटना बढ़ी परन्तु निर्भया फंड से बेटिया की सुरक्षा समेत दुष्कर्म पीड़िताओं के पुनर्वास सहित अन्य कार्य अब तक नहीं हुए है;	केन्द्र से निर्भया फंड के अन्तर्गत प्राप्त राशि से राँची जिला के रिनपास, कांके में वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना की गई है तथा संचालित है। पूर्वी सिंहभूम एवं धनबाद जिला में वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना एवं संचालन हेतु उक्त जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है। जिलों द्वारा वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना एवं संचालन की कार्रवाई की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निर्भया फंड से बोकारो सहित राज्य के समस्त जिलों बेटियों की सुरक्षा समेत दुष्कर्म पीड़िताओं के पुनर्वास सहित उनकी शिक्षा, नौकरी एवं अन्य कल्याणकारी व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हां तो, कब तक, नहीं, तो क्यों?	निर्भया फंड के अन्तर्गत जिलों में वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना एवं संचालन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अन्तर्गत राज्य के बोकारो सहित शेष 20 (बीस) जिलों में वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना एवं संचालन हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/वि0स0/अल्प सूचित प्रश्न–29/2017– 137 राँची, दिनांक : 18-01- 2017

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–215/वि0स0 दिनांक–11.01.2017 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/2017

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव

(15)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 19.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि गरीबों को सस्ते दर पर आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने के लिए जन वितरण प्रणाली की दूकान 887 डिलरों द्वारा गढ़वा जिला में संचालित है एवं डिलरों के चयन की पूर्व की तथा वर्तमान की प्रक्रिया में काफी अन्तर है;	अस्वीकारात्मक। गढ़वा जिला में जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश 1984 के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारियों के द्वारा वर्तमान तक निर्गत किया जा रहा है।
(2) क्या यह बात सही है, कि जन वितरण प्रणाली के डिलरों की शिकायत प्रायः वजन की कमी निर्धारित दर से अधिक राशि लेना, समय पर अनाज की आपूर्ति नहीं करना, कई महीने का राशन नहीं बाँटना आते रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। ऐसी शिकायतों पर संबंधित क्षेत्र के अनुमण्डल पदाधिकारियों द्वारा दोषी विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई (स्पष्टीकरण पूछने, अनुज्ञप्ति निलंबन अथवा रद्द करने) की जाती है।
(3) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में कार्यरत सभी डिलरों का प्रत्येक छः माह पर ग्राम सभा से अनुमोदन या 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं के द्वारा डिलर के प्रति विश्वास जताते हुए संतुष्टि प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही डिलर का अनुज्ञप्ति का नवीकरण होने की व्यवस्था नहीं होने से डिलरों पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। प्रत्येक वर्ष जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के आचरण एवं सरकारी प्रावधान के आलोक में उनकी अनुज्ञप्तियाँ नवीकृत की जाती है।
(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गढ़वा जिला में वर्षों से कार्यरत डिलरों का प्रत्येक छः माह पर ग्राम सभा से अनुमोदन या 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं का संतुष्टि प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के उपरान्त ही अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने का प्रावधान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लागू नहीं है।

ह0/–
(बसंत कुमार दास),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 11/2017– 247 /राँची, दिनांक 18.01.17

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 437, वि0स0, दिनांक 14.01.2017 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/17
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 19.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–[illegible]–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री राधाकृष्ण किशोर,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार ने वर्तमान वर्ष में किसानों से 1600 रूपये प्रति क्वींटल की दर से 1039433.40 क्वींटल धान खरीद करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;	राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में किसानों से 1600/– प्रति क्विंटल की दर से 40,00,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है, कि 05 जनवरी, 2017 तक 1039433.40 क्वींटल के विरूद्ध मात्र 9000 क्वींटल ही धान का क्रय किया गया है;	05 जनवरी 2017 तक मात्र 2,733 क्विंटल धान क्रय किया गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किसानों के पंजियन हेतु निर्धारित जटिल प्रक्रियाओं के कारण राज्य के हजारों किसान पंजियन से वंचित है;	अधिप्राप्ति योजना को पारदर्शी, एवं सहज बनाने तथा बिचौलियों की भागीदारी को समाप्त करने हेतु योजना को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके तहत निबंधित किसानों से ही धान क्रय किया जाना है। लगभग 70 हजार किसानों के आवेदनों का सत्यापन राजस्व पदाधिकारियों से कराते हुए पंजीयन हेतु संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें से 48,657 किसानों की विवरणी कम्प्यूटर में प्रविष्टि की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 03 एवं 04 तारीख को राज्य के सभी प्रखण्डों में विशेष शिविर का आयोजन भी किसानों के पंजीकरण हेतु आयोजित किया गया, जिसमें करीब 30,000 अतिरिक्त नये आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी राजस्व कागजातों की सत्यापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार अभी तक करीब एक लाख किसानों का आवेदन धान अधिप्राप्ति हेतु प्राप्त किया जा चुका है। किसानों को धान क्रय के पूर्व एस०एम०एस० भेजा जाता है तथा तीन बार दूरभाष पर भी सूचना दी जाती है। दिनांक 17.01.2017 तक 20,886 किसानों को एस०एम०एस० भेजा गया है जिसके विरूद्ध 2122 किसानों द्वारा 74,843 क्विंटल धान उपलब्ध कराया गया है। दूरभाष पर सम्पर्क करने पर किसानों द्वारा सामान्यतः बताया जा रहा है कि धान में निर्धारित मात्रा से ज्यादा नमी रहने के कारण उनके द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्रों तक धान नहीं ले जाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद उनके द्वारा धान ले जाया जायेगा। ऐसे छूट गये किसानों को पुनः एक अंतराल के बाद एस०एम०एस० भेजे जाने की कार्रवाई की जायेगी।
(4) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, बताएगी कि राज्य के किसानों से धान क्रय करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कौन सा सुलभ व्यवस्था करना चाहती है ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

ह0/–
(आलोक त्रिवेदी),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 06/2017– 243 /राँची, दिनांक 18.01.17

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 368, वि0स0, दिनांक 13.01.2017 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।